1. [illegible] प्रकाश [illegible] सीता बेवा दुर्गालाल जाति प्रजापत नि
2. सीता बेवा [illegible] उम्र बालिग निवासी धामनिया
3. रामपाल पिता [illegible] उम्र बालिग निवासी धामनिया
4. देउ बेवा [illegible] उम्र बालिग निवासी धामनिया
5. शंकर पिता [illegible] उम्र बालिग निवासी धामनिया
6. मु0 लाड [illegible] उम्र बालिग निवासी धामनिया
7. कल्याण [illegible] उम्र बालिग निवासी धामनिया
8. नारायण [illegible] उम्र बालिग निवासी धामनिया
9. हरला [illegible] उम्र बालिग निवासी धामनिया
10. बालु [illegible] उम्र बालिग निवासी धामनिया तहसील
जिला [illegible]

बनाम

1. [illegible] नाथ बावजी उम्र बालिग निवासी धामनिया तहसी
[illegible] (मृतक) कायम मूकाम
1/1 [illegible] जाति नाथ बावजी उम्र बालिग निवासी धामनिया
1/2 [illegible] जाति नाथ बावजी उम्र बालिग निवासी धामनिया
1/3 [illegible] जाति नाथ बावजी उम्र बालिग निवासी धामनिया
1/4 [illegible] जाति नाथ बावजी उम्र बालिग निवासी धामनिया
2. [illegible] तहसीलदार माण्डलगढ।

उपस्थित :– 1. [illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. [illegible]

[illegible] धारा 251–A (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :–

दिनांक :– 1

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धामनिया पटवार हल्का तहसील माण्डलगढ मे प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी न0 1788 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 1860 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा आ0न0 1863 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 3 रकबा बिस्वा स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 9 के नाम आ0न0 1859 रकबा 15 बिस्वा, आ0 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ0न0 1862 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा किता 3 रकबा 5 बीघा 11 बि है। इसी प्रकार प्रार्थी न0 10 के नाम आ0न0 1853/1 रकबा 5 बीघा स्थित होकर उक्त सम्पू पर आने जाने के लिये रास्ता महुआ–धामनिया मुख्य रोड से विपक्षी की आराजी न0 18 आराजी न0 1865/1 की उतरी मेर के सहारे सहारे गुजरता हुआ उक्त रास्ता आ0न0 1857 मेर पर पहुचता हैं तथा आराजी न0 1857 की पूर्वी मेर के सहारे सहारें हम प्रार्थीगण की आ 1863 एवं अन्य आराजी पर पहुचता है। उक्त रास्ता मौके पर 20 फीट चौडा होकर वर्तमान में तथा चिरकाल से प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की में आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा और कोई रास्ता मौके पर मौजुद नही है। प्रार्थी रास्ते से बैलगाडी, ट्रेक्टर वगैरहा से फसल को लाने ले जाने के लिये उपयोग करते चले आ परन्तु विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को हाल ही में अतिक्रमण कर बन्द कर दिया। उक्त रास्ते चालू किया जाकर राजस्व अभिलेखों में उक्त वर्णित रास्ते को दर्ज किया जाना आवश्य न्यायसंगत है। प्रार्थीगण आ0न0 1866/1, 1865/1 का जो हिस्सा रास्ते के उपयोग में लिया है उसकी बाजार दर जमा करवाने को तैयार है। अतः आ0ख0न0 1865/1, 1866/1 की पश्चि 20 फीट चौडी मेर पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के लिये रास्ता घोषित फरमा राजस्व अभि किस्म भूमि रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

[illegible] करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय [illegible] [illegible] पक्षीगण के बावजूद सुचना तामील अनुपस्थित रहने से उ[illegible] [illegible] के आदेश पारित किये गये। दौराने न्याय आपके द्वार मुख्याल[illegible] [illegible] को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये।

[illegible] रास्ते के संबंध में तहसीलदार माण्डलगढ से मौका रिपोर्ट मंगवाये [illegible] तहसीलदार काछोला को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। [illegible] में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली [illegible] माण्डलगढ अनुसार प्रार्थीगण ग्राम धामनिया की आबादी से [illegible] विपक्षी की आराजी न0 1865/1 व 1866/1 की उतरी मेड पर [illegible] मेड पर होकर अपनी अपनी आराजी में आते जाते रहे है। वर्तमान [illegible]/1 में रास्ता बन्द है। आ0न0 1857 की पूर्वी मेड पर वर्तमान में [illegible] व 1866/1 की उतरी मेड पर 2 गठा रास्ता दिये जाने पर 4 X 200 [illegible] बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आनी है। ग्राम धामनिया की प्रस्तावित [illegible] रूपये प्रति बीघा है। इस प्रकार आ0न0 1865/1 में 2 बिस्वा व [illegible] यानि कुल 10 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी।

[illegible] का अव्योपान्त अवलोकन किया एवं तहसीलदार माण्डलगढ से प्राप्त मौका रिपो[illegible] अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में पहुचने हेतु विपक्षी की आ0न0 [illegible] में से क्रमशः 48 X 4 = 192 वर्ग मीटर, 152 X 4 = 608 वर्ग मीटर अर्थात 200[illegible] बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड मे रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्[illegible]

—:आदेश:—

[illegible] धारा 251—ए(1) रा.टि.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदा[illegible] बीघा 17 बिस्वा, आ0न0 1860 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, आ0न0 1863 [illegible] 1859 रकबा 15 बिस्वा, आ0न0 1861 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ0न0 [illegible] आराजी न0 1853/1 रकबा 5 बीघा भूमि में आने जाने के लिये विप[illegible] 1866/1 में से क्रमशः 48 X 4 = 192 वर्ग मीटर, 152 X 4 = 608 वर्ग मीटर [illegible] वर्ग मीटर यानि 10 बिस्वा भूमि में 20 फीट चौडा रास्ता दर्ज किये जाने के [illegible] 20 फीट रास्ते का रकबा 800 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किये [illegible] प्रस्तवित भूमि की डीएलसी दर 2,62,700 रूपये प्रति बीघा की दर से 10 [illegible] रूपये प्रार्थीगण विपक्षीगण को भुगतान करने पर राजस्व रेकार्ड में रास्ता [illegible] द्वारा राशि प्राप्त नही करने की दशा में उक्त राशि राजकोष में जमा [illegible]

आदेश [illegible] को न्याय आपके द्वार केम्प धामनिया पर लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़